फर्द अहकाम

न्यायालय ______________________________

जगदीश बनाम हामी कद

मुकदमा संख्या / वर्ष 30/22 : ____________ / 20____

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	16/4/24	पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 30/4/24 को पेश हों।	
	30/4/24	पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 6/5/24 को पेश हों।	
	6/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप०। व्यस्तता के कारण आदेश सुनाया नहीं जा सका। ~~वास्ते~~ प्रकरण मे बहस सुने हुए 30 दिवस से अधिक हो चुके। वकील उभय पक्षो की पुन: बहस सुनी गई। वास्ते आदेश हेतु पत्रावली दि० 14/5/24 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)	
	14/5/2024	पत्रावली वास्ते आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। वादीगण को तय मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है। [illegible] बयान से लिखवाया जाकर [illegible] किया गया। पत्रावली [illegible] प्रकरण से नाम [illegible] हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.06 15:58:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
वाद पत्र : 30/2022
निर्णय दिनांक : 14.05.2024

1. जगदीश पुत्र स्व. बक्सा राम जाट, उम्र 60 वर्ष, जाति–जाट, निवासी–ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ रामपुरा, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर (राजस्थान)।

.....वादी

बनाम

1. घासी पुत्र बक्सा, जाति–जाट, निवासी–ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ रामपुरा, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
2. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर जे.डी.ए. भवन, इन्द्रा सर्किल, जयपुर।
3. सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती राजस्व नक्शा ट्रेस एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं सपठित धारा 128, 131 भू–राजस्व अधिनियम 1956

वादी की ओर से पेश वाद का विवरण इस प्रकार है कि ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ रामपुरा, पटवार हल्का–कल्याणपुरा, भू–अभि. निरी क्षेत्र–कल्याणपुरा, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 216/1 रकबा 1.99 हैक्टेयर वादी की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि है तथा खसरा नंबर 215/2 रकबा 1.64 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 216/2 रकबा 1.28 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि है। जिसे वाद में आगे "वादग्रस्त भूमि" शब्द से संबोधित किया गया है। वाद–पत्र के मद संख्या 2 में वर्णित भूमि पैतृक एवं मौरूसी है। जिसका विभाजन तहसीलदार सांगानेर द्वारा कर नामान्तकरण संख्या 29 तस्दीक होने पर अलग–अलग खातेदारी में लगायी गयी। विभाजन के दौरान राजस्व कर्मचारियों द्वारा तरमीम की कार्यवाही के दौरान राजस्व नक्शा ट्रेस में बडी भारी गलती कर दी। जिससे वादी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 216/1 रकबा 1.99 हैक्टेयर के बजाय 1.89 हैक्टेयर राजस्व नक्शा में दर्शा दी [illegible] से वादी की करीब 0.10 हैक्टेयर भूमि कम होकर प्रतिवादी [illegible] खसरा नंबर 215/2 व 216/2 में मिला दी गयी। वादी ने उक्त वादग्रस्त भूमि की पैमाईश करवायी तो राजस्व नक्शा ट्रेस वर्तमान मौजूदा के अनुसार खसरा नंबर 215/2 रकबा 1.64 हैक्टेयर के बजाय 1.79 हैक्टेयर क्षेत्रफल ही बैठता है तथा खसरा नंबर 216/2 रकबा 1.28

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.06 15:58:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Scanned with CamScanner

हैक्टेयर के बजाय 1.39 हैक्टेयर क्षेत्रफल (रकबा) बैठता है। यह बढोतरी प्रतिवादी के हिस्से की भूमि की तरमीम करते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गयी है, जिसे दुरूस्त करवाया जाना लाजिमी हुआ। प्रतिवादी संख्या 1 ने निजी खातेदारी की भूमि को रिहायशी उदेश्य के लिए प्रतिवादी संख्या 2 के कार्यालय में आवेदन पेश किया। प्रतिवादी संख्या 3 के राजस्व कर्मचारियों ने भी बिना कोई नाप–चौप किये उक्त वादग्रस्त भूमि को आबादी गै.मु. में परिवर्तित कर दिया जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम नामान्तकरण भर कर जमाबन्दी में दर्ज कर दिया तथा रकबा जमाबन्दी के अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम नहीं किया गया। वादी को उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 215/2 व 216/2 को आबादी भूमि में कन्वर्ट करने की जानकारी हुई तो वादी ने जे.डी.ए. आयुक्त महोदय एवं सचिव महोदय को दिनांक 03–09–2021 को प्रार्थना–पत्र पेशकर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि की पैमाईश कर जमाबन्दी में दर्ज रकबे से ज्यादा भूमि का नियमन न करे ना ही राजस्व रिकॉर्ड की दुरूस्ती करायें। चूँकि वादी के खसरा नंबर 216/1 की 0.10 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी के खसरा नंबरान् में मिला दी गयी है तो उन्होने आश्वासन दिया कि हम जमाबन्दी के रकबे का ही नियमन करेंगे, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की तो वादी ने पुनः 7 दिन बाद जे.डी.ए. कार्यालय में उक्त अधिकारियों को मिला तो उन्होने कहा कि तुम उपायुक्त महोदय से मिलो तब वादी ने दिनांक 08–9–2021 को शिकायत प्रार्थना–पत्र उपायुक्त महोदय को पेश किया तो उन्होंने भी यही आश्वासन दिया किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी। वादी ने दिनांक 02–12–2021 को पुनः उपायुक्त जे.डी.ए. को प्रार्थना–पत्र पेश किया तो उन्होने कहा कि तुम राजस्व न्यायालय से ही राजस्व नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती करवाओ हमारे पास अधिकार में नहीं है।

कि प्रतिवादी संख्या 1 अब गलत व फर्जी सोसायटी के लोगों से मिलकर उक्त भूमि में भूखण्ड बेचने की तैयारी में है तथा गलत राजस्व नक्शा वर्तमान के अनुसार ही अपना ले आउट प्लान बनाकर दिनांक 20–1–2022 को मुड्डिया गाड रहा है। जबकि वादी मौके पर 1.99 हैक्टेयर भूमि पर काबिज है। प्रतिवादी संख्या 1 एवं वादी की खातेदारी की भूमि में 7–8 फीट फीट अन्दर तक मुड्डिया गाडने लगा तो वादी ने मना किया तो प्रतिवादी नंबर 1 लडाई–झगडा करने लगा तथा धमकी दी कि मैनें तो नक्शा ट्रेस के अनुसार पैमाईश करवाकर ही कार्य किया है। तब वा[illegible] कि नक्शा ट्रेस में तुमने गलत तरमीम कर 0.10 हैक्टेयर [illegible] संख्या 1 ने धमकी दी कि अब तो मैं जे.डी.ए. स[illegible] कुछ नहीं कर सकते। प्रतिवादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 2 से गलत राजस्व [illegible]शा ट्रेस के अनुसार अधिक भूमि में आवण्टन ले लेगा तो वादी को अपूर्णनीय क्षति होगी तथा उसे अपनी बहुमूल्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.06 15:58:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Scanned with CamScanner

जमीन 0.10 हैक्टेयर से हाथ धोना पड़ेगा। जिससे वादी के अधिकारों का हनन होगा एवं अपूर्णनीय क्षति होगी। जिसकी भरपाई होने में कठिनाईयों एवं वाद बाहुल्यता में बढोतरी होगी। वादी खसरा नंबर 216/1 रकबा 1.99 हैक्टेयर का रिकॉर्डेड खातेदार एवं मौके पर काबिजकाश्त है। राजस्व नक्शा ट्रेस में गलत तरमीम हो जाने से वादी की 0.10 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि खसरा नंबर 215/2 व 216/2 में दर्ज कर दी गयी। जिससे वादी को बहुमूल्य सम्पति का नुकसान हो रहा है। प्रतिवादीगण संख्या 1 मा द्वारा वादी की भूमि को हडपने व जबरन कब्जाकर आवण्टन पत्र जारी करने पर आमादा है। जिसका उन्हें कोई कानूनी हक अधिकार प्राप्त नहीं है। वादी प्रतिवादी संख्या 1 त्या 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है। वादकारण दिनांक 03–9–2021 एवं 08–9–2021 को जब वादी ने जे. डी. ए. अधिकारियों को नियमन कार्यवाही बिना पैमाईश न करवाने बाबत् पेश किये तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि में दिनांक 20–1–2022 को वादी की भूमि में मुड्डिया गाडने की जबरन कोशिश की, जिससे वादकारण उत्पन्न होकर दावा इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ। प्रतिवादी रिकॉर्ड ऑफ राईटस् (जमाबन्दी) में दर्ज रकबे से अधिक रकबा लेने का अधिकारी नहीं है। राजस्व कर्मचारियों ने सहवन से राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम गलत कर देने से वादी की 0.10 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी के कब्जे में नाजायज रूप से जाती है, जो अवैध है। वादी अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 216/1 रकबा 1.99 हैक्टेयर भूमि लेने का अधिकारी है तथा वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस को दुरूस्त कराने का कानूनन अधिकारी है।

वादी निम्न अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है:–

क–यह कि वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी इन्द्राज दुरूस्ती इस अमर की सादर फरमायी जायें कि वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 216/2 व 215/2 तथा 216/1 के जमाबन्दी में दर्ज रकबे के अनुसार ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ रामपुरा, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर में के राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम की जावें।

ख– वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की सादर फरमाई जावे कि वादी की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 216/1 रकबा 1.99 हैक्टेयर में मौके पर किसी प्रकार की दखलन्दाजी व बेजामजाहमत न करें न करावें, ना कोई आवण्टन–पत्र जारी करें [illegible] कोई निर्माण कार्य करें न करावें स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिवादी[illegible] [illegible] जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को रजिस्टर नोटिस जारी किये गये। उभयपक्षकारान उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 2 ने जवाब दावा पेश जो पत्रावली में

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.06 15:58:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Scanned with CamScanner

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 30/2024
निर्णय दिनांक : 14.05.2024

1. जगदीश पुत्र स्व. बक्सा राम जाट, उम्र 60 वर्ष, जाति–जाट, निवासी–ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ रामपुरा, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर (राजस्थान)।

.....वादी

बनाम

1. घासी पुत्र बक्सा, जाति–जाट, निवासी–ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ रामपुरा, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
2. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर जे.डी.ए. भवन, इन्द्रा सर्किल, जयपुर।
3. सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती राजस्व नक्शा ट्रेस एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं सपठित धारा 128, 131 भू–राजस्व अधिनियम 1956

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, सॉगानेर द्वितीय जयपुर व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुदई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाके कि ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ रामपुरा, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 216/2 तथा 216/1 के जमाबन्दी में दर्ज रकबे व राजीनामा में संलग्न नजरी नक्शे अनुसार राजस्व के अनुसार राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है, राजीनामा व नक्शा निर्णय का भाग रहेगा।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14.05.2024 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

दस्तखत
ओहदा ....

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	1	00	स्टाम्प अर्जी दावा	1	00
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा [illegible]		
खर्चा गवाहान			फीस [illegible]		
फीस कमिश्नर			[illegible]		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.06 15:58:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Scanned with CamScanner

शामिल मिसल है। उभयपक्षकारान घासीराम एवं जगदीश ने राजीनामा पेश किया जो पत्रावली में शामिल मिसल है।

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान की बहस पत्रावली एवं प्रस्तुत राजीनामा पर सुनी गई।

बहस उभयपक्षकारान, प्रस्तुत राजीनामा एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजता का अवलोकन करने पर वादी की ओर से पेश वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देश दिया जाता है कि ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ रामपुरा, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 216/2 तथा 216/1 के जमाबन्दी में दर्ज रकबे व राजीनामा में संलग्न नजरी नक्शे अनुसार राजस्व के अनुसार राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है, राजीनामा व नक्शा निर्णय का भाग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.06 15:58:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner